[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 06 /2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 6,7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 2 फरवरी, 2022 से लोप किया जाएगा ।
2.	अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 1क, 2, 3, 4, 5, 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:

1. मूल अधिसूचना संसख्यांक 37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 81/2018 सीमाशुल्क, तारीख 17 दिसंबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 1214(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
2. मूल अधिसूचना संसख्यांक 52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 24/2021 सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 236(अ), तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।